5.1.26	आज पत्र उप॰। प्रार्थना-पत्र प्राप्त स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली नंबर से फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया। BL उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	01 05/01/2026 GCMS 2024/497

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

प्रकरण सं0 214/24 GCMS 2024/497 दायर दिनांकः— 28—08—2024

रामनारायण पुत्र श्री गणपतराम जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

————प्रार्थी

बनाम

1—शिशपाल खिलेरी पुत्र गणपतराम
2—सहीराम पुत्र श्री गणपतराम
3—साहबराम पुत्र श्री गणपतराम
4—सन्तरो देवी पत्नी बृजलाल

अकवाम जाट साकिनान अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

5—शाखा प्रबन्धक पी एन बी बैंक शाखा 2 एस जी एम भगवानगसर
6—राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

————अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) , 209 आर टी ए

उपस्थित :—

1— श्री राजवीर भादू अभिभाषक प्रार्थी
2— श्री महेन्द्र कुमार अभिभाषक अप्रार्थी न0 2 ता 4
3— पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ

—:— निर्णय —:—

दिनांकः— 05.01.2026

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के नाम से भूमि वाके चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता सं0 3/67 के पं0 न0 68/381 मु0 न0 22 के किला न0 8 ता 13, 18 ता 24/3.289 है0 कमाण्ड / अनकमाण्ड , पं0 न0 68/382 मु0 न0 31 के किला न0 1/1 ता 4/2 , 8 ता 11/ 2.024 है0 कमाण्ड मय खाला कुल 5.313 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। प्रार्थी की उक्त भूमि के चिपता राज भूमि वाके चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के प0 न0 68/381 मु0 न0 22 के किला न0 2—5—6—16—17/1.265 है0 कमाण्ड भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थी को अपने रकबा में आवागमन के लिए चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ के प0 न0 67/381 के किला न0 1—10—11—20—21 में स्वीकृत शुदा गै0मु0 रास्ता चल से होते हुये राज रकबा प0 न0 68/381 मु0न0 22 के किला न0 16 में 0.019 है0 दक्षिणी पासा, 17 में 0.019 है0 दक्षिणी पासा पूर्व— से पश्चिम चालू रास्ता से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन लगभग 25—30 वर्षो से किया जा रहा है । लेकिन चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ के प0 न0 68/381 मु0न0 22 के किला न0 16 में 0.019 है0 दक्षिणी पासा, 17 में 0.019 है0 दक्षिणी पासा पूर्व— से पश्चिम वर्तमान चल रहा रास्ता स्वीकृत नही है। प्रार्थी काफी लम्बे समय से स्वीकृत रास्ता से होते हुये रकबा राज में से अपने खेत में आवागमन करता आ रहा है । वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा में आने जाने बाधा है। इसलिए प्रार्थी रकबा राज भूमि वाके चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ के प0 न0 68/381 मु0न0 22 के किला न0 16 में 0.019 है0 व 17 में 0.019 है0 दक्षिणी पासा पूर्व— से पश्चिम में रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया।

प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 251 (क) एवं राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 68—70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में उक्त वाद में अंकित तथ्यों की चाही गई रिपोर्ट भू—अभिलेख निरिक्षक एव पटवारी हल्का द्वारा बिन्दुवार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा तैयार कर भिजवाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

रिपोर्ट के पश्चात प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी न0 2 व 4 जरिये अभिभाषक महेन्द्र कुमार उपस्थित हुये। अप्रार्थी सं0 1 व 5 बावजूद समन तामिल हाजिर नही आये उनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गई।

इसके पश्चात प्रार्थी के अभिभाषक एवं पेरोकार राज की बहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के नाम से भूमि वाके चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता सं0 3/67 मे कुल 5.313 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। प्रार्थी की उक्त भूमि के चिपता राज भूमि वाके चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के प0 न0 68/381 मु0 न0 22 के किला न0 2–5–6–16–17/1.265 है0 कमाण्ड भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थी को अपने रकबा में आवागमन के लिए चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ के प0 न0 67/381 के किला न0 1–10–11–20–21 में स्वीकृत शुदा गै0मु0 रास्ता चल से होते हुये राज रकबा प0 न0 68/381 मु0न0 22 के किला न0 16 में 0.019 है0 दक्षिणी पासा, 17 में 0.002 है0 दक्षिणी पासा पूर्व– से पश्चिम चालू रास्ता से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन लगभग 25–30 वर्षो से किया जा रहा है । लेकिन चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ के प0 न0 68/381 मु0न0 22 के किला न0 16 में 0.019 है0 दक्षिणी पासा, 17 में 0.002 है0 दक्षिणी पासा पूर्व– से पश्चिम वर्तमान चल रहा रास्ता स्वीकृत नही है। इसलिए प्रार्थी रकबा राज भूमि वाके चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ के प0 न0 68/381 मु0न0 22 के किला न0 16 में 0.019 है0 दक्षिणी पासा, 17 में 0.002 है0 दक्षिणी पासा पूर्व– से पश्चिम में रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं0 2 ता 4 के अभिभाषक ने निवेदन करते हुये बताया कि उक्त संयुक्त खाते की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता के अभाव के कारण उक्त रास्ता स्वीकार किया जावे ।

उभय पक्षो की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावैजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी न0 1 ता 4 के नाम से खातेदारी भूमि वाके चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता सं0 3/67 मे कुल 5.313 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि को किसी भी प्रकार का कोई भी वैक्लपिक रास्ता नही है। प्रार्थी रकबा राज भूमि वाके चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ के प0 न0 68/381 मु0न0 22 के किला न0 16 में 0.019 है0 (दक्षिणी पासा) व किला न0 17 में 0.002 है0 (13फुट चौड़ाई × 17 फुट लम्बाई) (दक्षिणी पासा) पूर्व– से पश्चिम में चालू रास्ता से अपनी खातेदारी भूमि के आवागमन कर रहा है । उक्त चालू रास्ता स्वीकृत किया जाना सही है । इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते ह ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर रकबा राज भूमि वाके चक 13 एस एल डी तहसील सूरतगढ के प0 न0 68/381 मु0न0 22 के किला न0 16 में 0.019 है0 (दक्षिणी पासा) व किला न0 17 में 0.002 है0 (13फुट चौड़ाई × 17 फुट लम्बाई) (दक्षिणी पासा) पूर्व– से पश्चिम भूमि को रकबा राज से कलमजन कर गै0मु0 रास्ता के नाम अंकन करने का आदेश दिया जाता है। तथा प्रार्थी को गैर मु0 रास्ता की एवज में डी एल सी (DLC) दर की दुनी राशि तहसीलदार राजस्व सूरतगढ जमा करवाने जाने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिया जाता है । तहसीलदार सूरतगढ के नाम तहरीर जारी हो । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:17 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जयप्रकाश मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)